

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

Website: secraj.rajasthan.gov.in, Email: secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(27)रानिआ / लेखा / बजट / 2026-27 / 7564

दिनांक: 02.09.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर,
जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली एवं उदयपुर।

विषय:- नगर निकाय आम चुनाव 2026 हेतु बजट आवंटन बाबत।

प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 5553 दिनांक 05.08.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 05.08.2026 की निरन्तरता में राज्य के नगर निगम के आम चुनाव 2026 हेतु बजट मद 2217-80-191-09-00-57 (राज्य निधि) मांग संख्या-52 के अन्तर्गत विभिन्न विस्तृत मदों यथा यात्रा भत्ता, पी.ओ.एल / वाहन किराया, एवं बेलेट पेपर प्रिंटिंग आदि के व्यय हेतु संलग्न सारणी (परिशिष्ट-1) के अनुसार नगर निगमों के चुनाव हेतु अतिरिक्त बजट राशि रु. 2,40,74,400/- (अक्षरे राशि रु. दो करोड़ चालीस लाख चौहतर हजार चार सौ रुपये मात्र) का आवंटन किया जाता है।

यात्रा भत्ता के अन्तर्गत मतदान दलों, मतगणना दलों व जोनल/एरिया मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कार्मिकों एवं रिजर्व दलों में नियुक्त कार्मिकों आदि को भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 528 दिनांक 16.01.2026 के निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावे। ऐसे कार्मिक जो किन्हीं कारणों से स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी निरस्त करवा लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता (TA & DA) देय नहीं होगा। मतदान दलों का गठन/प्रशिक्षण आयोग के निर्देशानुसार किया जावें। मतदान दलों एवं चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में नियोजित कार्मिकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता का भुगतान यथा संभव सीधे ही संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करावें।

नगर निकाय आम चुनाव 2026 के मतदान दलों, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस व्यवस्था व अन्य सामान्य व्यवस्था/सामग्री परिवहन हेतु मित्तव्ययता का ध्यान रखते हुए, चुनाव कार्य में राजकीय वाहनों का उपयोग किया जावें, अधिग्रहित वाहनों के किराये व पी.ओ.एल. आदि का भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 622 दिनांक 19.01.2026 में स्वीकृत दरों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावें।

प्रायः देखने में आया है कि आवंटित बजट राशि का उपयोग चुनाव संबंधी व्यय के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक मदों के खर्चों पर व्यय किया जा रहा है। अतः नगर निकाय आम चुनाव 2026 हेतु विभिन्न विस्तृत मदों में आवंटित बजट राशि का उपयोग आयोग द्वारा जारी व्यय करने संबंधी दिशा-निर्देश के पत्र क्रमांक प. 1 (29) (2)/रानिआ/लेखा/बजट/ 2025-26/5199 दिनांक 30.12.2025 के दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

नियंत्रण अधिकारी राशि के उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित करावें कि, राशि का उपयोग संबंधित बजट मद से एवं संबंधित उपमद की आवंटन सीमा में ही किया गया है। संभावित व्यय राशि का सही आंकलन कर आवश्यकतानुसार यथा समय ए.सी. बिल आहरित किया जावे। आवश्यकता से अधिक राशि का ए.सी. बिल किसी भी परिस्थिति में आहरित नहीं किया जावे। वित्त विभाग एवं आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/प्रपत्रों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जावे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/आयोग द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/निर्देश के किन्हीं बिन्दुओं/व्यय के संबंध में मार्गदर्शन/स्थिति स्पष्ट न होने अथवा संशय उत्पन्न होने पर संबंधित बिन्दु पर आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जावे। किसी भी नियम, परिपत्र/निर्देश की गलत विवेचना के फलस्वरूप राजकोष को होने वाली हानि के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त बजट मांग के संबंध में औचित्य सहित विवरण ई-मेल से प्रेषित करावें।

नगर निकाय चुनाव से संबंधित समस्त दायित्वों का निपटारा चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें। उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण विस्तृत मदवार आयोग को मासिक विवरण के साथ ई-मेल से प्रेषित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(राजेश वर्मा)
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.1(27)रानिआ/लेखा/बजट/2026-27/1565-70 दिनांक 02.09.2026
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित उपजिला निर्वाचन अधिकारी।
4. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालयों को ई-मेल करने हेतु।
5. अंक मिलान शाखा/नगर निकाय चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, मुख्यालय जयपुर।
6. गार्ड फाईल।


(सुरेश चन्द मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान
जयपुर

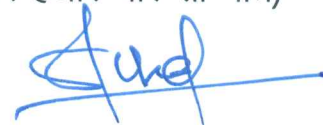
STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Budget Allotment For Local Bodies (Municipal Corporation) General Election 2026

Budget Head:- 2217-80-191-09-00-57

S. No	Districts	OFFICE ID	NO. OF Polling Booths	TA & DA	POL & VEHICLE	Ballot Paper & Other Printing	Total Budget Allotment
1	2	3	4	7	8	9	10
1	AJMER	3710	392	784000	784000	78400	1646400
2	ALWAR	14427	241	482000	482000	48200	1012200
3	BHARATPUR	9046	200	400000	400000	40000	840000
4	BIKANER	3257	421	842000	842000	84200	1768200
5	JAIPUR	20456	2205	4410000	4410000	441000	9261000
6	JODHPUR	20463	721	1442000	1442000	144200	3028200
7	KOTA	10775	721	1442000	1442000	144200	3028200
8	BHILWARA	13354	265	530000	530000	53000	1113000
9	PALI	5387	160	320000	320000	32000	672000
10	UDAIPUR	20448	406	812000	812000	81200	1705200
TOTAL			5732	11464000	11464000	1146400	24074400

(अक्षरे राशि रुपये दो करोड चालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र)



(सुरेश चन्द मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर